पत्र सँख्या- 268 (पु0)

बिहार सरकार

आपदा प्रबन्धन विभाग

मुख्य सचिवालय
पटना-800015

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त
<u>सहरसा / पूर्णिया</u>
जिलाधिकारी
<u>मधेपुर/ सहरसा/ अररिया / पूर्णिया / सुपौल</u>

पटना, दिनाँक सितम्बर 12 2008

विषय : बाढ़ प्रभावित परिवारों व राहत कैम्पों के बेहतर अनुश्रवण के लिये डाटा बेस रखने के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों व राहत कैम्पों के जिला/ प्रमंडल/ राज्यस्तरीय बेहतर अनुश्रवण के लिये नियमित रूप से डाटा एकत्रित एवं कम्प्युटर में डाटाबेस में रखा जाय । इस सम्बन्ध में मै. IBM द्वारा सौफ्टवेयर विकसित किया है जिसका उपयोग किया जायेगा । इस सौफ्टवेयर के लिये सभी **सरकारी एवं गैर सरकारी** राहत कैम्पों तथा वहाँ कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सम्बन्ध में एवं **सरकारी एवं गैर सरकारी कैम्पों एवं अन्य स्थानों में बाढ़ प्रभावित परिवारों** के सम्बन्ध में आंकड़ों का नियमित रूप से संकलन कर सौफ्टवेयर में एंट्री किया जायेगा ।

इस उद्देश्य के लिये इस सौफ्टवेयर के उपयोग में एवं आंकड़ों के संकलन तथा आंकणों की ऐंट्री में बेल्ट्रॉन एवं IBM द्वारा ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया गया है । इन ऑपरेटरों को आपके जिलों में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है । विभिन्न आपदा राहत कंट्रोल रूम में संकलित किये जा रहे आंकड़ों को इस डाटाबेस में एंट्री कराना होगा । इनके साथ आवश्यक्तानुसार कुछ और volunteers/students आदि को भी संलग्न करने का प्रयास किया जा रहा है जो विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी राहत कैम्पों एवं अन्य स्थानों से बाढ़ - प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित कर सौफ्टवेयर के डाटाबेस में एंट्री करेंगे । इस सम्बन्ध में आपसे निम्न अनुरोध हैं :

i. इन ऑपरेटरों को उपरोक्त कार्य सुनिश्चित करने के लिये यथासम्भव आवश्यक सुविधा प्रदान की जाय
ii. आपदा कंट्रोल रूम प्रभारियों को इन ऑपरेटरों को सभी सम्बन्धित आँकड़े उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दिया जाय ।

iii. राहत कैम्पों के प्रभारियों को कैम्प सम्बन्धी जानकारी (संख्या , प्रभावित परिवारों के आंकड़े आदि) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाय ।

iv. आँकड़े संकलित करने के लिये आवश्यकतानुसार अधिकाधिक volunteers/students आदि भी इनके साथ सँलग्न कर ने का प्रयास किया जाय । इस कार्य के लिये कुछ पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जा सकता है । इसके लिये आकस्मिकता मद / विशेष सेवाओं मद में उपलब्ध आबंटन से व्यय वहन किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन ,

(प्रत्यय अमृत)
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. **सचिव , सूचना प्रावैधिकी विभाग को आवश्यक क्रियार्थ,**
2. **प्रबन्ध निदेशक , बिहार राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये ।**

अपर आयुक्त